राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1745 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 561 / 16 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान मयाजल बनाम जोरसिंह वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/7/17 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 561/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – **1.मयाजल पुत्र कला जाति मेघवाल निवासी बीसासर, तहसील सेड़वा।**

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.जोरसिंह पुत्र बीजराजसिंह 2.लेहरबाई पत्नि इन्द्रसिंह 3.बलवंतसिंह 4.हीरसिंह पि. भंवरसिंह 5.वांकसिंह जाति राजपूत निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा।
6.प्रभू पुत्र मंगला 7.चौखाराम 8.रिड़मलराम पि.मलूराम 9.धुड़ाराम 10.भगवानाराम 11.चेहनराम पि.चेतनराम 12.खीमाराम 13.साबराराम पि.मानाराम, जाति मेघवाल, निवासी बीसासर, तहसील सेड़वा।
14.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री सारंगराम मेघवाल**
विप्रार्थीगण वकील –

निर्णय

दिनांक :– 15/7/17

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा बीसासर, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 420/81 रकबा 20.00 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त भूमि मूल खसरा सं. 81 में से 20.00 बीघा आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। प्रार्थी के सेढ़ा सेढ़ विप्रार्थी सं. 1 से 13 की भूमि आई हुई है। प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 से 11 की भूमि मूल खसरा सं. 81 का भाग है , जो प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 11 को अलग अलग आवंटित कर मौके पर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त खसरों की जब लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई तब राजस्व कर्मचारियों ने मौके की जांच किये बिना अपनी मनमर्जी से मौके के अनुसार तरमीम न करके उसके विपरित तरमीम कर दी तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं की गई । मौके की स्थिति और लट्ठा ट्रेस की स्थिति एक दूसरे के विपरित है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये बरंग लाल के अनुसार है। बरंग लाल भाग पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इसी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अनुसार तरमीम दुरस्त करवाना चाहता है। जिस हेतु आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सेड़वा को उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिनांक 15/7/17 को पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित हुए। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा बीसासर, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 420/81 रकबा 20.00 बीघा में की गई गलत तरमीम को तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में सेड़वा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

फर्द मौका

आज दिनांक 13/6/17 को माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व आवेदन सं. 561/2016 उनवान मयाजल बनाम जोरसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 136 RLR Act में मौजा बीसासर के खेत ख.नं. 420/81 रकबा 20 बीघा भूमि की तरमीम शुद्धि की जांच रिपोर्ट हेतु न्यायालय आपके यहां कैम्प जालमालीया में श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश दिनांक 7.6.17 की पालना में मयरूह हल्का पटवारी, प्रार्थी व मोतबिरान के मौके पर पहुंचा।

मौके पर जांच करने से पाया कि प्रार्थी मयाजल पुत्र कालु के खातेदारी खेत ख.नं. 420/81 रकबा 20 बीघा की निगरान ट्रेस में जिस स्थान पर तरमीम दर्शाई गई है वह भूमि मौके पर खाली पड़ी है। और कदीम से पड़त पाई गई। जिसकी ट्रेस नकल संलग्न नक्शा 'A' के अनुसार है। यह तरमीम ख.नं. 80 के उत्तर दिशा की तरफ की गई है जो गलत है।

मौका अनुसार प्रार्थी का कब्जा/काश्त ख.नं. 80 के दक्षिण दिशा व ग्राम सिंहार की सीमा से लगता हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा वर्तमान में बाजरा की फसल बो रखी है व टांका आदि व बाड़ आदि बनी हुई है। तथा प्रार्थी हर वर्ष इसी स्थान पर बतौर आवंटन से काश्त करता आ रहा है। ऐसा उपस्थित मोतबिरान ने बताया।

मौजूदा तरमीम ट्रेस का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के कब्जे वाले स्थान पर ही पेंसिली तरमीम की गई थी जो हल्की सी लाइन स्पष्ट दिखाई दे रही है और इस पेंसिली तरमीम के अन्दर ख.नं. 420/81 लाल स्याही से लिखा गया है। और जिस पर लाल घेरा किया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रार्थी के उक्त खसरा की तरमीम वर्तमान कब्जा अनुसार ही की गई थी। बाद में तरमीम को बदल कर दूसरे स्थान पर किया गया है। ~~इस~~

प्रार्थी के मौके पर काश्त/कब्जा के मुताबिक संलग्न ट्रेस नक्शा 'B' में बरंग लाल से दर्शाया गया है। जो सही है।

फर्द मौके पर तैयार कर, पढ़कर सुनाई गई। उपस्थितजन के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर करवाये गए।

[signature] मयाजल

ILR सारणा

प० बीसासर

रवीमाराम

इस्माईल खान

छुट्टाराम

चौथाराम

तहसीलदार सेड़वा

21/6/17

नक्शा किश्तवार मौजा - बीसासर
तह. - सेड़वा पैमाना - 1" = 20 गट्ठा

प्रस्तावित नक्शा

संकेत - प्रस्तावित

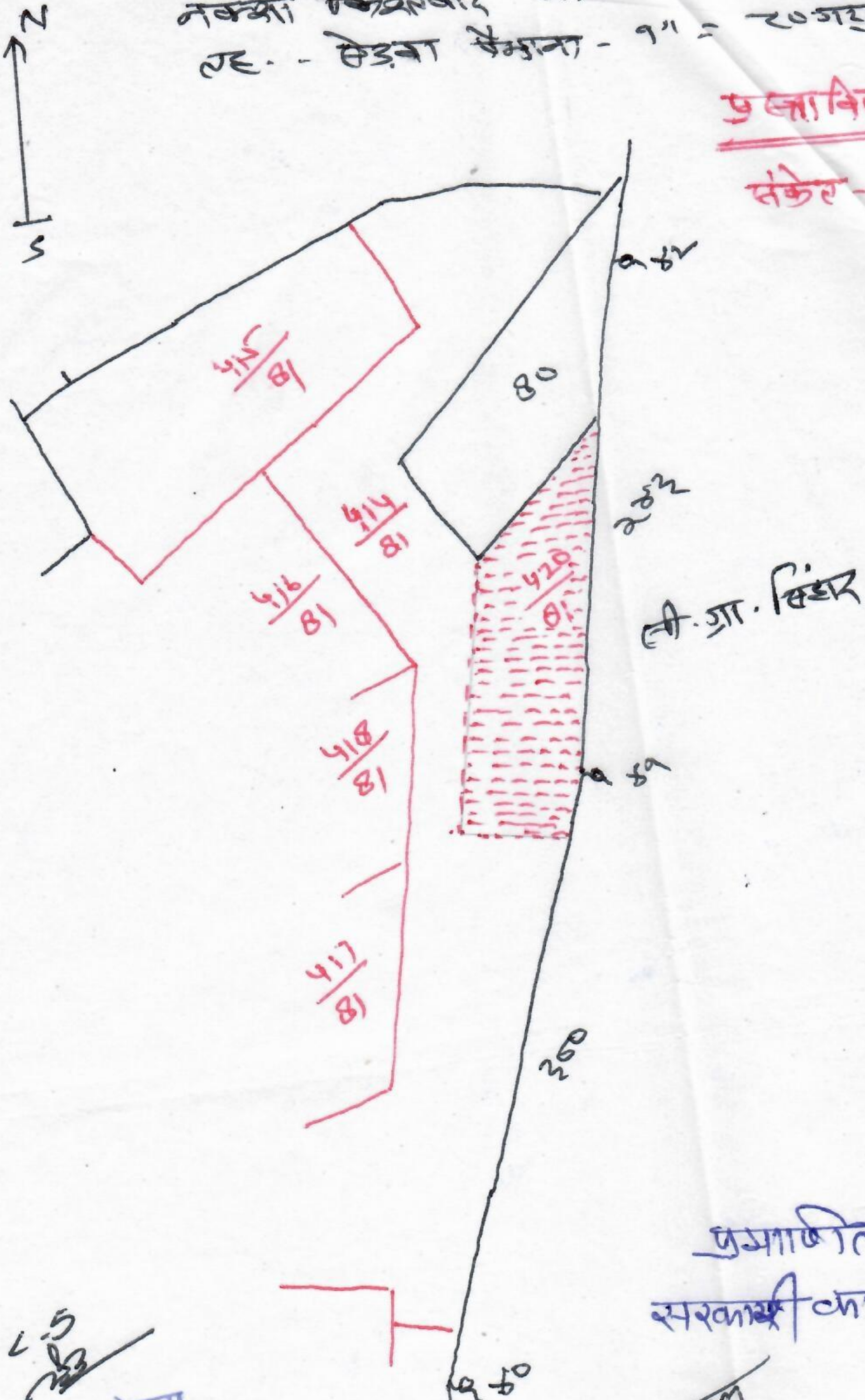

प्रमाणित प्रतिलिपि
सरकारी कार्य हेतु नि: शु

तहसीलदार सेड़वा